

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 47/2024

1. चनणसिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

- - वादी

बनाम

1. मलकीत कौर पत्नी दर्शनसिंह जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सीतो पत्नी मोहनसिंह जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. रणजीत सिंह पुत्र मोहनसिंह जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. वकील सिंह पुत्र मोहनसिंह जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. लक्ष्मी पुत्री मोहनसिंह जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. सन्तराम पुत्र दर्शनसिंह जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. प्रकाश कौर पुत्री दर्शनसिंह पत्नी दलीप सिंह जाति बावरी निवासी लखुवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
8. सीतोबाई पुत्री दर्शनसिंह पत्नी मघरसिंह जाति बावरी निवासी डवली बास 1 डीवीएल हनुमानगढ़।
9. फकीरचन्द पुत्र दर्शनसिंह जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. शम्भू पुत्र दर्शनसिंह जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
11. भगतसिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
12. बूटासिंह माता मुखत्यार कौर पत्नी नारायणसिंह जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
13. आत्माराम माता मुखत्यार कौर पत्नी नारायणसिंह जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
14. बुधराम माता मुखत्यार कौर पत्नी नारायणसिंह जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
15. सीतो उर्फ सरजीत कौर पुत्री गोपाल जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।



- - प्रतिवादीगण



दावा अन्तर्गत धारा :- 88 आर.टी.ए.घोषणा

निर्णय

दिनांक - 17.05.2024

वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैलसिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.05.2024 को स्वामि गुप्ता कारणा उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी के सम्मेलन अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर राहतस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत आदेश किया जाकर अन्तिम हिक्की की जाती है कि

क. वादी धनरासिंह को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 मलकीतकौर को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 रणजीतसिंह, प्रतिवादी संख्या 4 वकीलसिंह, प्रतिवादी संख्या 2 सीतो को 1/3 हिस्सा ब0हि0ब0 प्राप्त आराजी - चक नम्बर 8 के एच.आर. के खाता संख्या 65/62 में कुल .759 हैक्टर में मुखत्यार कौर प्रतिवादी संख्या 15 सीतो प्रत्येक का 1/6 हिस्सा, चक नम्बर 4 एस.बी.एन. के खाता संख्या 61/50 में कुल 2.024 हैक्टर में मुखत्यार कौर का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 15 सीतो का 1/6 हिस्सा, चक न0 2 एम.के.एस.ए. के खाता संख्या 56/57 में कुल 0.291 हैक्टर में मुखत्यारो का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 15 सीतो का 1/6 हिस्सा व चक नम्बर 1 एम.के.एस.ए. के खाता संख्या 60/59 में कुल 0.759 हैक्टर में मुखत्यार कौर का 211/1265 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 15 सीतो का 211/1265 हिस्सा।

ख. प्रतिवादी संख्या 2 सीतो, प्रतिवादी संख्या 3 रणजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 4 वकीलसिंह को ब0हि0ब0 प्राप्त आराजी - चक नम्बर 8 के एच.आर. के खाता संख्या 65/62 में कुल .759 में मोहनसिंह का 1/6 हिस्सा, चक नम्बर 4 एस.बी.एन. के खाता संख्या 61/50 में कुल 2.024 हैक्टर में मोहनसिंह का 1/6 हिस्सा, चक नम्बर 2 एम.के.एस.ए. के खाता संख्या 56/57 में कुल 0.291 हैक्टर में मोहनसिंह का 1/6 हिस्सा, चक नम्बर 1 एम.के.एस.ए. खाता संख्या 60/59 में कुल 0.759 हैक्टर में मोहनसिंह का 211/1265 हिस्सा।

प्रतिवादी संख्या 1 मलकीतकौर को प्राप्त आराजी - चक नम्बर 8 के एच.आर. के खाता संख्या 65/62 में कुल 0.759 हैक्टर में दर्शनसिंह का 1/6 हिस्सा, चक नम्बर 4 एस.बी.एन. के खाता संख्या 61/50 में कुल 2.024 हैक्टर में दर्शनसिंह का 1/6 हिस्सा, चक नम्बर 2 एम.के.एस.ए. के खाता संख्या 56/57 में कुल 0.291 हैक्टर में

दर्शनसिंह का 1/6 हिस्सा, चक नम्बर 1 एम.के.एस.-ए के खाता संख्या 60/59 में कुल 0.759 हैक्टर दर्शनसिंह का 42/253 हिस्सा।

आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 8 के.एच.आर. के खाता संख्या 65/62 में से दर्शनसिंह, मुख्त्यार कौर, मोहनसिंह, सीतो का नाम कलमजन, चक नम्बर 4 एस.बी.एन के खाता संख्या 61/50 में से दर्शनसिंह, मुख्त्यार कौर मोहनसिंह, सीतो का नाम कलमजन, चक नम्बर 1 एम.के.एस.-ए के खाता संख्या 60/59 में से दर्शनसिंह, मुख्त्यार कौर, मोहनसिंह, सीतो का नाम कलमजन, चक नम्बर 2 एम.के.एस. ए के खाता संख्या 56/57 में से दर्शनसिंह, मुख्त्यारों, मोहनसिंह, सीतो का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 17.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई



(स्वाति मुता) एच  
उपस्थित अधिकारी एवम्  
पदेन सचिव कलक्टर  
टिब्बी

### वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
द पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
क्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
दर्शा के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
पये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
क्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
मिशनर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
शिका की तामिल	---	योग	---